

# भारत सरकार Government of India



उत्तरी क्षेत्र कार्यालय  
NORTHERN ZONE OFFICE  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA  
पालम रेलवे क्रॉसिंग के पास  
Near Palam Railway Crossing  
दिल्ली कैंट-110 010  
DELHI CANTT.-110 010

दूरभाष Telephone: 011-2089 7009

ई-मेल E-mail : [zone.north.soi@gov.in](mailto:zone.north.soi@gov.in)

सं० No.प्रशा०- 1122 /37-जी-9/संग्रह-9 (eFile #2439)

दिनांक Dated the 07<sup>th</sup> अगस्त August, 2025

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, दिल्ली नेमी आदेश संख्या 05/37-जी-9 दिनांक 07.08.2025  
NORTHERN ZONE OFFICE, DELHI ROUTINE ORDER No.05 /37-G-9 dated 07.08.2025

## ➤ पदोन्नति PROMOTION :-

निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिवीजन-I अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 में नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। / The following Group 'B' (Non-Gazetted) Division-I Officers is hereby promoted to the post of Officer Surveyor (Group 'B' Gazetted) on regular basis in Pay Matrix Level-8 with effect from the date as shown against his name. :-

क्रम सं. Sl.No.	नाम व पदनाम Name and Designation	पदोन्नति पर पदनाम Designation on promotion	पूर्व कार्यालय Previous Office	वर्तमान कार्यालय Present Office	पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि Date of joining on promotion
i.	श्री मनोज कुमार जावड़ा, सर्वेक्षक Shri Manoj Kumar Jawada, Surveyor	अधिकारी सर्वेक्षक Officer Surveyor	राजस्थान जीडी, जयपुर Rajasthan GD, Jaipur	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, दिल्ली Northern Zone Office, Delhi	28.07.2025 (पूर्व.)
प्राधिकार Authority :- महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून का दिनांक 01.07.2025 का पत्र संख्या सीपी-1637/707(अधिकारी सर्वेक्षक/ संग्रह-84 (26736))					

- उपरोक्त कार्मिक का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उत्तरी क्षेत्र कार्यालय के 'कार्यालय अध्यक्ष' द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त संनिहित व्यय उत्तरी क्षेत्र कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा-शीर्ष के नामों डाला जाएगा। / Pay fixation on promotion of the above personnel will be fixed by the 'Head of Office' of Northern Zone Office and the additional expenditure involved will be met out of the sanctioned budget grant for the financial year 2025-2026 of Northern Zone Office & will be debited to the appropriate Head of Account.
- संबंधित अधिकारी को एक माह के भीतर एफ.आर. 22(I)(ए)(1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प देना होगा और यदि, संबंधित अधिकारी को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत एफ.आर. 22(I)(ए)(1) का लाभ पहले ही मिल चुका है, तो उसका वेतन निर्धारण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। / The Official concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(I)(a)(1) within one month and if, the concerned official have already got the benefit of FR 22(I)(a)(1) under MACP scheme, then his pay fixation will be done as per the prescribed rules.
- उक्त पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न 'वचन-पत्र' पदोन्नत कार्मिक से प्राप्त कर, सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर सहित, इसे उसकी सेवा पंजिका में अभिलेख हेतु रखा जाये। / The 'undertaking' enclosed with the said promotion order should be obtained from the promoted personnel, duly countersigned by the Competent Authority and kept in his Service Book for record.
- यदि उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधी मामला लंबित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा। / The above order will not be effective, if any vigilance/disciplinary or punishment, etc. proceedings case is pending against the above-mentioned personnel.
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की जाति की स्थिति तथा दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित कार्मिकों के प्रमाणपत्र का पुनः सत्यापन किया जाएगा और यदि यह पाया जाता है कि वे आरक्षित और दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर वापस कर दिया जाएगा। / The caste status of SC/ST personnel and certificates of personnel belonging to PwBD category will be re-verified and if, it is found that they do not belong to the reserved and PwBD category, they will be reverted to the original post forthwith.

(महेश चन्द गौड़)

अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र

Contd.

-2-

**वितरण:-**

- i. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
- ii. निदेशक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ जीडी, चंडीगढ़/ उत्तराखंड जीडी, देहरादून/ उत्तर प्रदेश जीडी, लखनऊ/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जीडी, जम्मू/ विंग प्रभारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुद्रणालय, दिल्ली कैंट।
- iii. वेबसाइट प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईटी सेल), भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून ( Email: [admn.soi@gov.in](mailto:admn.soi@gov.in) )
- iv. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, जयपुर।
- v. निजी सचिव, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट।
- vi. कार्यालय अधीक्षक, लेखा, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली को महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून के दिनांक 01.07.2025 के पत्र सं. सीपी-1637/707(अधिकारी सर्वेक्षक)/संग्रह-84 (26736) की प्रति सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- vii. फाइल 11-बी-1/गोपनीय (eFile # 29025)
- viii. गार्ड फाइल (प्रशासन)